भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 969

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी की गई केंद्रीय निधि

969. डॉ. शर्मिला सरकारः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा देश भर के राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु राज्यवार और वर्षवार कितनी निधि आवंटित/जारी की गई है और राज्यों द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया है;
(ख) देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को ऐसी निधि किस प्रकार आवंटित की जाती है और इन स्वास्थ्य से जुड़ी निधि के संवितरण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य हेतु कितनी निधि बकाया है / जारी की जानी है और अब तक जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) शेष निधि जारी करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ):न्यायोचित, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यान्वित कर रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता, विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच में सुधार हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत पं. बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय निधि और व्यय का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए देश के सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के रूप में प्राप्त होते हैं और भारत सरकार प्रस्तावों को मानकों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में मंज़ूरी प्रदान करती है।

एनएचएम के तहत, किसी राज्य की वार्षिक संसाधन सुविधा उसकी आबादी और एक आवश्यकता घटक के आधार पर तय की जाती है, जो राज्य के क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्थिति और राज्य के सामाजिक आर्थिक घटक पर निर्भर करता है।

व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय के अ.शा. सं. 32/पीएसओ/एफएस/2015, दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के अनुसार, निधि व्यवस्था केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में (8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) और बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100:0 के अनुपात में की जाएगी।

एनएचएम के तहत निधि जारी करना, राज्यों/संघ राज्य क्षत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निहित दिशानिर्देशों का पालन करने के अधीन होता है।

*****

अनुबंध- I

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गम और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		केंद्रीय निर्गम	व्यय	केंद्रीय निर्गम	व्यय	केंद्रीय निर्गम	व्यय	केंद्रीय निर्गम	व्यय	केंद्रीय निर्गम	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36.91	42.68	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71	49.99	44.41
2	आंध्र प्रदेश	1,097.81	2,385.48	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82
3	अरुणाचल प्रदेश	243.04	209.06	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44	388.86	472.93
4	असम	1,807.48	1,846.86	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54
5	बिहार	1,814.63	2,415.34	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31
6	चंडीगढ़	22.21	19.52	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85	43.43	37.29
7	छत्तीसगढ़	979.41	1,521.30	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं द्वीव	36.39	35.74	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96	40.96	40.47
9	दिल्ली	125.73	210.83	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41	240.39	365.44
10	गोवा	34.81	67.43	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	84.53	55.06	95.17
11	गुजरात	1,005.66	1,894.46	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15

12	हरियाणा	531.50	829.12	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06
13	हिमाचल प्रदेश	441.94	425.58	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	629.76	523.70	654.52
14	जम्मू एवं कश्मीर	667.46	657.53	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30
15	झारखंड	602.80	999.71	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59
16	कर्नाटक	1,232.19	2,320.37	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23
17	केरल	788.22	1,457.75	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88
18	लद्दाख	91.89	38.56	44.79	62.81	94.95	109.67	120.44	119.67	135.98	150.50
19	लक्षद्वीप	7.11	6.99	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10	9.68	10.00
20	मध्य प्रदेश	2,377.14	3,397.82	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77
21	महाराष्ट्र	1,833.59	3,503.62	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86
22	मणिपुर	189.49	112.79	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32	279.16	295.79
23	मेघालय	202.63	213.36	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83	297.95	393.01
24	मिजोरम	143.73	131.36	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	179.84	159.96	174.67
25	नागालैंड	188.21	159.72	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69	204.47	243.60
26	ओडिशा	1,617.63	2,347.24	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01
27	पुदुचेरी	25.55	47.32	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74	26.27	49.27
28	पंजाब	568.14	908.98	349.21	918.96	448.89	1,054.3	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72

							9				
29	राजस्थान	2,000.58	2,943.21	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33
30	सिक्किम	70.13	52.06	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	75.77	81.67	89.59
31	तमिलनाडु	1,522.71	2,172.33	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74
32	तेलंगाना	671.88	1,354.93	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42
33	त्रिपुरा	225.91	249.74	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	309.62	268.67	279.35
34	उत्तर प्रदेश	3,772.95	7,080.45	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16
35	उत्तराखंड	583.25	503.53	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79	604.05	760.15
36	पश्चिम बंगाल	1,895.01	2,598.62	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07

टिप्पणी:

1) उपरोक्त केंद्रीय निर्गम सरकारी निधि से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

2) व्यय में केंद्रीय निर्गम, राज्य निर्गम के तहत व्यय और वर्ष की शुरुआत में अप्रयुक्त शेष शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए एफएमआरएस के अनुसार हैं और अनंतिम है।

*****